समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्याः................................/विकास/2019

दिनांकः...

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समस्त प्रधान अन्वेषक/
प्रभारी/समन्वयक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषयः रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 में स्वीकृत धनराशि के उपयोग की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या – 1498 / सत्तर – 4–2021 दिनांक 03.08.2021 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट तथा पत्र संख्या– 1499 /सत्तर –4–2021 दिनांक 03.08.2021 द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनांतर्गत आंवटित धनराशि को उपयोग करने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्राप्त हुए हैः–

1–रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि को कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विशिष्ठ क्षेत्रों में शोध कार्य हेतु शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान के उपयोग की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है।

2–सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि को कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के विभागों के लिए विभिन्न शासनादेशों द्वारा अवमुक्त किये गये अनुदान/धनराशि के उपयोग की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अवमुक्त अनुदान का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक सुनिश्चित करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र एवं आउटकम की सूचना शासन को यथा समय उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन को प्रेषित किये गये प्रस्ताव के अनुसार बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अवमुक्त धनराशि को ससमय सदुपयोग करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए निर्धारित समयावधि में धनराशि व्यय करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या PJ/11960-63 दिनांक 07/08/2021

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, शोध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. इन्चार्ज वेबसाइट, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव